रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 1987/माघ 30, 1908
No. 39] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 1987/MAGHA 30, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 फ़रवरी, 1987

संकल्प

सं. एफ. 6(15)/86-आई. सी. :—केन्द्रीय सरकार, विधिक सहायता स्कीम का अनुपालन करने के लिए समिति को पुनर्गठित करने वाले अपने तारीख 15 अक्तूबर, 1985 के सं. एफ़. 6 (18)/85—आई. सी. वाले

सरकारी संकल्प के भाग : उपांतरण में इसके द्वारा तुरंत प्रभाव देते हुए श्री न्यायमूर्ति रघुनंदन स्वरूप पाठक, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, का श्री न्यायमूर्ति प्रफुल्लचंद्र नटवरलाल भगवती, भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, के स्थान पर विधिक सहायता स्कीम के अनुपालन के लिए समिति का प्रधान संरक्षक नियुक्त करती है ।

पी. के. कर्ता, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 19th February, 1987

RESOLUTION

No. F. 6(15)|86-IC.—The Central Government in partial modification of Government Resolution No. F. 6(18)|85-IC dated 15th October, 1985 reconstituting the Committee for Implementing Legal Aid Schemes, hereby appoints with immediate effect Shri Justice R. S. Pathak, Chief Justice of India, as the Patron-in-Chief of the Committee for Implementing Legal Aid Schemes in place of Shri Justice P. N. Bhagwati, former Chief Justice of India.

P. K. KARTHA, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987